न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या 60/2016 जिला दौसा ।

1. हरिसिंह
2. प्रहलाद सिंह
   पुत्रान मोतीसिंह जाति राजपूत निवासी अलीपुरा तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. रामकिशोर
2. राजेन्द्र
3. रामावतार
   पुत्रगण बंशीधर जाति ब्राहमण निवासी पालून्दा तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा
4. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 14.03.2016 उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री उमेश गौड।
2. वकील रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 श्री हेमन्त सोगानी।

निर्णय

दिनांक–19.01.2021

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा के निर्णय दिनांक 14.03.2016 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न निम्न प्रकार है कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 लगायत 03 के पिता के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा के समक्ष प्रस्तुत किया कि वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी भूमि खसरा नम्बर 13 रकबा 21 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम चक अलीपुरा तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा में स्थित है जिसको वादी ने दिनांक 05.05.1971 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय किया था। दिनांक 05.05.1971 को क्रय किये जाने के पश्चात वादी उक्त भूमि पर बहैसियत खातेदार काबिज होकर काश्त कर लगान सरकार अदा करता आ रहा हैं। वादी की आराजी खसरा नम्बर 13 की नक्शा सीट में उक्त भूमि के नम्बर डाले हुये है परन्तु नजरी पक्शा में दर्शित हरूफ ए–बी लाईन गलत व अवैध तरीके से डाल दी, इस कारण खसरा नम्बर 13 के दो भाग हो गये। इसमें एक भाग में खसरा नम्बर 13 का अंकन हो गया एवं दूसरे भाग में कोई अंकन नही है। वह बिना नंम्बरो का भाग रह गया जबकि खाली भाग भी खसरा नम्बर 13 का ही पार्ट है। खसरा नम्बर 13 एवं उसके पास खाली बिना नम्बरी भूमि जिसको नक्शे में बिना नम्बरी बताया गया है को मिलान पर ही वादी का कुल रकबा 21 बीघा 14 बिस्वा बैठता है। मात्र अकेले खसरा नम्बर 13 जिस प्रकार अंकित है उससे रकबा पूर्ण नही बैठता है। इस बात से यह पूर्ण रूप से सिद्ध है कि खसरा नम्बर 13 वाके ग्राम चक अलीपुरा के पास बिना नम्बरी नक्शा सीट खसरा नम्बर 13 का ही पार्ट है जिसके नजरी नक्शे में वर्णित हरूफ ए से बी लाईन को दुरूस्त करवाया जाना न्यायार्थ आवश्यक है। अतः आराजी खसरा नम्बर 13 रकबा 21 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम चक अलीपुर तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा के नक्शा सीट में प्रस्तुत नजरी नक्शे में दर्शित ए से बी लाईन को हटवाये जाने के आदेश प्रदान कर खसरा नम्बर 13 की नक्शा सीट में दुरूस्ती के आदेश प्रदान किया जावे व नजरी नक्शे में दर्शित हरूफ ए से बी लाईन को हजफ फरमाया

(सेवा राम सुथार)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner

जाकर बिना नम्बरी नक्शा रकबा खसरा नम्बर 13 में ही मिलान करने का आदेश फरमाया जावे।

2. उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा ने रेस्पोंडेन्ट के उक्त प्रार्थना पत्र पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.03.2016 पारित कर प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये आदेश पारित किया गया कि खसरा नम्बर 13 वाके ग्राम चक अलीपुरा पटवार हल्का पालून्दा के पास जो बिना नम्बरी भाग नक्शे में दर्शाया गया है उस भाग को खसरा नम्बर 13 रकबा 21 बीघा 14 बिस्वा का भाग घोषित किया जाता हैं और इस कदर दुरूस्ती का आदेश दिया जाता है कि खसरा नम्बर 13 के नक्शा सीट व बिना नम्बरी दर्शाये गये भाग के बीच जो लाईन नक्शे में है उसे हटाकर और उक्त बिना नम्बरी नक्शे को खसरा नम्बर 13 के नक्शे में मिलाकर नक्शे को दुरूस्त कर रिकार्ड में पालना की जावे।

3. उपखण्ड अधिकार लालसोट जिला दौसा के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.03.2016 से व्यथित होकर अपीलान्टस हरिसिंह एवं प्रहलाद सिंह के द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्टस स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकार लालसोट जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन प्रश्नगत निर्णय दिनांक 14.03.2016 को निरस्त फरमाये जाने की प्रार्थना की गई।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा में ग्राम चक अलीपुरा अधिनस्थ ग्राम पंचायत पालूंदा एवं अलीपुरा अधिनस्थ ग्राम पंचायत डोब दो पृथक–पृथक राजस्व ग्राम स्थित हैं। जिनकी सीमाये पृथक–पृथक बनी हुई है। ग्राम चक अलीपुरा स्थित आराजी ख0न0 13 रेस्पोडेंट की खातेदारी में अंकित है एवं आराजीयात खसरा नम्बर 68/39 रकबा 17 बीघा 18 बिस्वा वाकै ग्राम अलीपुरा अपीलांटस की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय दिनांक 14.03.2016 विधि, प्रकिया, नियम, तथ्य एवं न्याय के सामान्य सिद्धांतो के विपरीत न्यायिक प्रकिया का उपहास कर क्षैत्राधिकार का अतिक्रमण कर फरमाया गया निर्णय है। अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंटस से मिलीभगत के कारण शीर्षक प्रकरण की पत्रावली में कांट छांट कर एक ही तिथि को आदेशिकाये अंकित की है। अपीलांट की तामील हुये बिना अपीलांटस के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित कर गंभीर प्रक्रियात्मक त्रृटि की है। अपीलांटस् को उक्त तथ्य की जानकारी होने पर अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 अन्तर्गत 151 सीपीसी के तहत प्रस्तुत कर प्रकरण में पक्षकार बनने की प्रार्थना की, जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश द्वारा निरस्त फरमा दिया। अपीलांटस् ने अधिनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश के विरूद्ध नगरानी माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में प्रस्तुत की गई। जिसें मा0 राजस्व मण्डल अजमेर ने आदेश दिनांक 23.7.15 द्वारा स्वीकार फरमाकर अपीलांटस् को प्रकरण में पक्षकार बनाने के लिये आदेशित फरमाया गया। स्व0 बंशीधर द्वारा मा0 राजस्व मण्डल अजमेर के उक्त आदेश दिनांक 23.7.15 को माननीय राज0 उच्च न्यायालय जयपुर पीठ में चुनौती दी। माननीय राज0 उच्च न्यायालय जयपुर पीठ ने स्व0 बंशीधर द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका अस्वीकार की गई तथा माननीय राजस्व मंडल का आदेश प्रभावशील रहा। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय राज0 उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के आदेश को संदर्भित कर स्व0 बंशीधर के उत्तराधिकारीगण को ही वादीगण पक्षकार बनाया गया। अप्रार्थीगण का नाम शीर्षक वाद में जोडने की कोई कार्यवाही नही की गई। अधिनस्थ न्यायालय में शीर्षक प्रकरण में तारीख पेशी दिनांक 04.03.2016 नियत हुई। उक्त तिथि को भी आगामी पेशी दिनांक 18.3.16 नियत की गई जिसे काटकर दिनांक 11.3.2016 अंकित किया गया तथा उक्त तिथि को प्रतिवादी संख्या दो–तीन के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित कर तारीख पेशी दिनांक 14.03.2016 वास्ते बहस नियत कर इसी तिथि को दावा वादी स्वीकार

(सेवा राम स्वामी)
अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

करने के आदेश पारित फरमा दिये गये। ग्राम अलीपुरा स्थित जिस भूमि को अधिनस्थ न्यायालय ने खाली भूमि बताया है वह भूमि अपीलांटस् की खातेदारी एव कब्जे काश्त की भूमि है जिस पर अपीलांटस् का कब्जा काश्त सदैव से है, डोल लगी हुई है एवं नलकूप बना हुआ है। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त भूमि को रेस्पोडेंटस की भूमि ख0न0 13 ग्राम चक अलीपुरा का भू–भाग बिना किसी आधार के मानकर न्यायिक त्रुटि की गई है। उनका यह भी कहना था कि प्रकरण धारा 136 एल.आर. एक्ट की परिधि में नहीं होने के बावजूद भी निर्णय पारित करने में क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग किया है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.03.2016 प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.03.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

6. रेस्पोडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने मुख्य रूप से कथन किया कि भूमि खसरा नम्बर 13 रकबा 21 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम चक अलीपुरा तहसील रामगढ पचावरा जिला दौसा में अवस्थित है, जो रेस्पोडेन्ट्स ने दिनांक 05.05.1971 को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र कय की हुई है तथा कय किये जाने के पश्चात से उक्त भूमि पर बहैसियत खातेदार काबिज होकर काश्त में रही है । रेस्पोडेंट की आराजी खसरा नम्बर 13 की नक्शा सीट में उक्त भूमि के नम्बर डाले हुये है परन्तु नजरी नक्शा में दर्शित हरूफ ए–बी लाईन गलत व अवैध तरीके से डाल दी गई । इस कारण खसरा नम्बर 13 के दो भाग हो गये। इसमें एक भाग में खसरा नम्बर 13 का अंकन हो गया एवं दूसरे भाग में कोई अंकन नही है। वह बिना नम्बरो का भाग रह गया जबकि खाली भाग भी खसरा नम्बर 13 का ही पार्ट है। खसरा नम्बर 13 एवं उसके पास खाली बिना नम्बरी भूमि जिसको नक्शे में बिना नम्बरी बताया गया है के मिलान पर ही रेस्पोडेंट का कुल रकबा 21 बीघा 14 बिस्वा बैठता है। मात्र अकेले खसरा नम्बर 13 जिस प्रकार अंकित है उससे रकबा पूर्ण नही बैठता है। इस बात से यह पूर्ण रूप से सिद्ध है कि खसरा नम्बर 13 वाके ग्राम चक अलीपुरा के पास बिना नम्बरी नक्शा सीट खसरा नम्बर 13 का ही पार्ट है जिसके नजरी नक्शे में वर्णित हरूफ ए से बी लाईन को दुरूस्त करवाया जाना न्यायार्थ आवश्यक है। उनका यह भी कहना था कि प्रकरण धारा 136 एल.आर. एक्ट की परिधि में आता है तथा रिलीफ भी धारा 136 एल0आर0 एक्ट में चाही गई। अपीलांटस् अन्य ग्राम अलीपुरा के रहने वाले हैं। अपीलांटस द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष किसी भी प्रकार का राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत नही किया गया। अपीलांटस् की खातेदारी भूमि ख0न0 68/39 अलग ग्राम अलीपुरा में स्थित है जबकि रेस्पोडेंटस की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 13 चक अलीपुरा में स्थित है। अपीलांटस् बावजूद तामिल अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हुये। तहसीलदार ने भी अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि खसरा नम्बर 13 का मुताबिक जमाबंदी 21 बीघा 14 बिस्वा है जबकि मुताबिक नक्शा सीट के खसरा नम्बर 13 का रकबा 19 बीघा बैठता हैं नक्शा सीट में अंकित बिना नम्बरी भू–भाग के रकबे का जमाबंदी में कोई खसरा नम्बर व रकबा अंकित नही है। उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.03.2016 रिकार्ड एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट्स की खातेदारी भूमि का रकबा अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.03.2016 द्वारा दुरूस्त किया है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधि सम्मत हैं। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

7. मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में पक्षकारों के मध्य मुख्य विवाद खसरा नम्बर 13 वाके ग्राम चक अलीपुरा तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा से संबंधित है। ग्राम पंचायत चक अलीपुरा की नक्शा सीट में उक्त भूमि के दो भाग है। इसमें एक भाग में खसरा नम्बर 13 का अंकन है तथा दूसरा भाग बिना नम्बर का है, के संबंध में विवाद है । पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधिनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा के समक्ष रेस्पोंडेन्ट के पिता स्व0 बंशीधर

(सेवा राम स्वामी)
अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

द्वारा विक्रय विलेख दिनांक 05.05.1971 से ग्राम चक अलीपुरा में अवस्थित भूमि खसरा नम्बर 13 रकबा 21 बीघा 14 बिस्वा क्रय किये जाने के पश्चात खसरा नम्बर 13 के नक्शा सीट में दो भाग होने पर दुरूस्ती के संबंध में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के संबंध प्रस्तुत की गई। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा द्वारा तहसीलदार से ली गई रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 13 का रकबा 21 बीघा 14 बिस्वा है किन्तु उक्त नक्शे को नापते है तो रकबा 18 बीघा 19 स्विा ही बनता है। खसरा नम्बर 13 का जो नक्शा बनाया गया है वह 21 बीधा 14 बिस्वा का नही बनाकर कम का बनाया गया है और उसके लगते ही उक्त बिना नम्बरी भाग अंकित है। उक्त बिना नम्बरी भाग और नक्शे में खसरा नम्बर 13 के भाग को देखते है तो दोनो का रकबा मिलाकर 21 बीघा 14 बिस्वा बैठता है। उक्त बिना नम्बरी भाग खसरा नम्बर 13 का ही भाग है किन्तु नक्शे में ए से बी लाईन गलत तरीके से दर्ज कर दी गयी जो दुरूस्त किये जाने योग्य है। उक्त रिपोर्ट पेश किये जाने पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। पत्रावली के अवलोकन अनुसार प्रकरण में अपीलांटस् द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त विवादित भूमि के हक एवं स्वामित्व के संबंध में किसी भी प्रकार का रिकार्ड पेश नही किया गया है। विवाद ग्राम चक अलीपुरा में अवस्थित भूमि खसरा नम्बर 13 से संबंधित जबकि अपीलांट अन्य ग्राम अलीपुरा ग्रम पंचायत डोब का निवासी है। ग्राम चक अलीपुरा ग्राम पंचायत पालूंदा एवं अलीपुरा ग्राम पंचायत डोब दो पृथक राजस्व ग्राम है। अपीलांट द्वारा केवल मात्र संदेह के आधार पर उक्त अपील पेश की गई है। दौराने सुनवाई अपीलांटस् द्वारा उक्त विवादित भूमि के स्वामित्व के संबंध में किसी भी प्रकार का रिकार्ड पेश नही किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा द्वारा राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.03.2016 पारित किया है। हम अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारीज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.03.2016 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो

19.01.21

(सेवा राम स्वामी)
अति.सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 19.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19.01.21

(सेवा राम स्वामी)
अति.सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner